06 06/2025

वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 दिनांक 27.08.2024 को न्यायालय में उपस्थित हुआ है। आज उपस्थित नही है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 2037 दिनांक 22.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल की जावे। वकील वादी को एकपक्षीय सुना गया। वकील वादी ने कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 2375/2291 रकवा 1.0748 है0 वाके ग्राम विश्नौदा तहसील व जिला धौलपुर वादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादी संख्या 01 का विवादित आराजी से कोई संबध सरोकार नही है। प्रतिवादी की विवादित आराजी से लगती हुई भूमि है जिसका लाभ उठाकर वह वादीगण की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। वादी की आराजी की विधिवत् पैमाईश उपरान्त पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिए जावे।

तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार धौलपुर ने उनकी रिपोर्ट में विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की भूमि होना बताते हुए विवादित आराजी की पैमाईश उपरान्त पत्थरगढी कराये जाना संभव बताया है। प्रतिवादी ने वादी के वादपत्र की कोई जवाबदेही नही की गई है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 2375/2291 रकवा 1.0748 है0 वाके ग्राम विश्नौदा तहसील व जिला धौलपुर की विधिवत् पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश तहसीलदार धौलपुर को दिए जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण की खातेदारी की आराजी ख.नं. 2375/2291 रकवा 1.0748 है0 वाके ग्राम विश्नौदा तहसील व जिला धौलपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
धौलपुर (राज0)